सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016, मुंबई

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
WEDNESDAY, MARCH 30, 2016, MUMBAI

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

CENTRAL BANK OF INDIA
Head Office : Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400 021

विषय-सूची / CONTENTS

विषय सूची **CONTENTS**	**पृष्ठ सं.** **PAGE NO**
सूचना Notice	1
नोट Notes	5
व्याख्यात्मक विवरण Explanatory Statement	13
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	19
उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पास Attendance Slip-cum-Entry Pass	23

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 को प्रात: 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (प.), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी :

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधन के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

"प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "योजना" कहा जाएगा) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियम" कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम),सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" कहा जाएगा) जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति भी शामिल है, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित किया गया है/ अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को एतदद्वारा, इस प्रस्ताव द्वारा कुल मिलाकर रु.165,56,87,694.08 (रु. एक सौ पैसंठ करोड़ छप्पन लाख सतासी हजार छ: सौ चौरानबे एवं आठ पैसा मात्र) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(4) के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति इक्विटी रु. 42.66 के प्रीमियम सहित भारतीय जीवन बीमा निगम और/अथवा उसकी विभिन्न योजनाओं को नगद में अधिमानी आधार पर प्रति इक्विटी शेयर रु. 52.66 के निर्गम मूल्य पर प्रत्येक रु. 10/- के अंकित मूल्य के 3,14,41,088 तक इक्विटी शेयर्स सृजित, प्रस्तावित निर्गमित एवं आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त हैं.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि संपरिवर्तन मूल्य के निर्धारण के लिए **"संगत तारीख"** 29.02.2016 है.

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Wednesday, 30th March, 2016 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai-400056 to transact the following business :

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution: -

"**RESOLVED** THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India(GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to, by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [Listing Regulations] and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot, upto 3,14,41,088 Equity Shares of the face value of Rs.10/- each to Life Insurance Corporation of India and/or to its various schemes on preferential basis, for cash at an issue price of Rs. 52.66 per Equity Share including premium of Rs. 42.66 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs. 165,56,87,694.08 (One Hundred Sixty Five Crore Fifty Six Lac Eighty Seven Thousand Six Hundred Ninety Four and Paisa Eight only)".

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 29-02-2016. "

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर डीमेट स्वरुप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत आवश्यक लॉक-इन-अवधि के अधीन होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप रैंक किए जाएंगे तथा लाभांश, यदि कोई है, की घोषणा करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई
दिनांक : 02-03-2016

(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.“

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India

Place: Mumbai
Date: 02-03-2016

(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यसूची के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की नियम तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए. तथापि उपर्युक्त दिनांक को अवकाश होने के कारण प्रॉक्सी फॉर्म उसके ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस अर्थात बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016 को सांय: 5 बजे या इसके पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए. तथापि उपर्युक्त दिनांक को अवकाश होने के कारण संकल्प की प्रति उसके ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस अर्थात बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016 को सांय: 5 बजे या इसके पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित कराकर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

6. मतदान का अधिकार

इस अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक, उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बंध में मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा.

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

   The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 25th March, 2016, however, the said date being Bank Holiday so proxy form should reach on or before 5.00 PM on the immediate preceding working day i.e. Wednesday, 23rd March, 2016.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

   No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company or anybody corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e on or before 5.00 PM on Friday, 25th March, 2016, however, the said date being Bank Holiday so copy of the resolution should reach on or before 5.00 PM on the immediate preceding working day i.e. Wednesday, 23rd March, 2016.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders/Authorised Representatives should state on the Attendance Slip-Cum-Entry pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. **VOTING RIGHTS**

   In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस की स्व प्रति अपने साथ लाएं.

9. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 20 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के खंड 44 के अनुपालन में बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) रिमोट ई- वोटिंग समयावधि रविवार, दिनांक 27 मार्च, 2016 को प्रात: 10:00 बजे से प्रारंभ होकर मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2016 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

(ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें.

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

(iv) अब, अपना यूजर आईडी प्रविष्ट कीजिए

ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय बेनीफीशियरी आईडी.

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकीय क्लाइंट आईडी के पश्चात 8 शब्दों का डीपी आईडी.

सी. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर्स हैं, बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नम्बर प्रविष्ट करें.

(v) अब प्रदर्शित हो रहे इमेज वेरीफिकेशन को प्रविष्ट कीजिए और लॉगिन पर क्लिक करें.

(vi) यदि आपके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं और आपने www.evotingindia.com को लॉग-ऑन किया था और आपने किसी कंपनी/संस्था में पहले मतदान के लिए मत डाला है तो आपके वर्तमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

7. **EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS**

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

8. **Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the Meeting.**

9. **Voting through electronic means**

I. In compliance with clause 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

(i) The remote e-voting period begins on Sunday, 27th March 2016 at 10.00 AM and ends on Tuesday, 29th March 2016 at 05.00 PM. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd March 2016, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.

(vii) यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो निम्नानुसार बिन्दुओं को अपनाएं :

	डीमेट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी (डीमेट शेयरधारकों और भौतिक रूप से शेयर्स धारकों दोनों को लागू) आपका 10 अंकीय अल्फा-न्यूमरिक * पैन प्रविष्ट करें. • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उनके नाम के पहले दो शब्दों का उपयोग करें और पैन फील्ड में आठ अंकीय संख्या का क्रमानुसार उपयोग करें. • यदि क्रम संख्या 8 अंक से कम है तो नाम के पहले दो शब्दों (केपिटल लेटर में) के बाद तथा नम्बरों के पूर्व समुचित संख्या में 0 प्रविष्ट करें, उदाहरणार्थ यदि क्रम संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें
डिविडेंड बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए आपके डीमेट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज डिविडेंड बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि प्रविष्ट करें. यदि दोनों ही विवरण डिपॉजिटरी अथवा कंपनी में अभिलेखित नहीं है तो कृपया अनुदेश नंबर (iv) के अनुसार डिविडेंड बैंक विवरण की फील्ड में सदस्य का आई-डी / फोलियो नंबर प्रविष्ट करें.

(viii) इन विवरणों को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के उपरांत, “सबिमट” टेब पर क्लिक करें.

(ix) भौतिक रूप में शेयर्स के धारक अब सीधे बैंक सिलेक्शन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे. परंतु, डीमेट रूप में शेयरधारक अब ‘पासवर्ड क्रियेशन“ मेनू में पहुंच जाएंगे, जहां उनसे यह अनिवार्यत: अपेक्षित होगा कि वे अपना लॉगिन पासवर्ड, नया पासवर्ड फील्ड में प्रविष्ट करें. कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग, डीमेट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी/संस्था के प्रस्तावों के मतदान हेतु भी किया जाएगा, जिसके लिए वे मत देने हेतु पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी/संस्था के पास सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग के लिए विकल्प उपलब्ध है. इसकी दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है कि आप अपना पासवर्ड, किसी अन्य को न बताएं और अपने पासवर्ड को पूरी तरह से गोपनीय रखें.

(x) भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए इस नोटिस में निहित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में ही विवरण का उपयोग किया जा सकता है.

(xi) जिसे वोट देना चाहें उस < कंपनी का नाम > पर क्लिक करें.

(xii) वोटिंग के पृष्ठ पर आपको “संकल्प विवरण” दिखाई देगा जिसके सामने वोटिंग का विकल्प हां/ नहीं दिया होगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं का चयन करें. विकल्प हां का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी सम्मति एवं विकल्प नहीं का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी असम्मति है.

(xiii) यदि आप संकल्प का पूर्ण विवरण देखना चाहें तो “रिजोल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें.

(xiv) संकल्प का चयन करने के पश्चात आपने उस पर वोट देने का निर्णय लिया है. सब्मिट पर क्लिक करें. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें अन्यथा वोट परिवर्तित करने के लिए “केन्सिल” पर क्लिक कर अपना वोट तदनुसार संशोधित करें.

(xv) संकल्प पर अपने वोट की एक बार “पुष्टि” कर देने पर आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) वोटिंग पृष्ठ पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा की गई अपनी वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) ● Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. ● In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv)

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/ entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाए तब यूजर आई डी एंटर करें तथा इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर कर "फॉरगॉट पासवर्ड" पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा प्राप्त किए अनुसार विवरण भरें.

(xviii) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन कर अपने आपको को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मोहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडमिन लॉगिन एवं पासवर्ड के प्रयोग से एक कम्प्लाइंस यूजर निर्मित किया जाना चाहिए. कम्प्लाइंस यूजर खाता(तों) को लिंक करने सक्षम होगा, जिस पर वे वोट करना चाहते हैं.
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे अपना वोट कर सकते हैं.
- बोर्ड प्रस्तावों एवं मुख्तारनामा (पीओए), यदि कोई हो, जिन्हें उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन्ड प्रति सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए.

(xix) ई-वोटिंग के संबंध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ करना चाहें तो आप https://www.evotingindia.co.in के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई- वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.

II. शेयरधारकों के मतदान का अधिकार, दिनांक 23 मार्च, 2016 को बैंक की नियत तारीख को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात के अनुसार होगा. तथापि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक की स्थिति में उसके द्वारा धारित किन्ही भी शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

III. डिपॉजिटरियों द्वारा रखे जा रहे सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तारीख अर्थात दिनांक 23 मार्च 2016 को जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है सिर्फ वही व्यक्ति ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग/मतदान के लिए पात्र होगा.

IV. ऐसा कोई व्यक्ति जो बैठक का नोटिस प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है और कट ऑफ तारीख अर्थात 23 मार्च 2016 को शेयर धारित करता है, वह उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया से यूजर आई- डी और पास वर्ड प्राप्त कर सकता है.

V. इस सूचना की एक प्रति सीडीएसएल की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.

VI. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाय लॉज़ के श्री अंकुर कुमार, अधिवक्ता एवं कॉर्पोरेट विधिक सलाहकार को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है.

VII. रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर, मतपत्रक-निरीक्षक कम से कम दो (2) साक्षियों, जो बैंक के रोजगार में न हों, की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा एवं पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए वोटों, यदि कोई हो, की जांच - रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 23rd March, 2016. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act , 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 23rd March, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at EGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off datei.e. 23rd March, 2016 , may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.

VI. Shri Ankur Kumar of M/s. EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the remote e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. बैंक के ईजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर, मतपत्रक-निरीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम, बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे.

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के निम्नलिखित विवरणों को प्रकट किया जाना है.

I. अधिमानी निर्गम का उद्देश्य:

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए, व्यावसायिक लक्ष्य तथा बासल III के अनुसार 7.625% की सीसीबी सहित टियर I सीआरएआर को पूरा करने के लिए लगभग रु. 1815 करोड़ की कुल अतिरिक्त टियर I (एटी I) पूंजी की आवश्यकता अनुमानित है. बासल III के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को सीआरएआर 10.90% था, जिसमें टियर I 8.05% (सीईटी I: 7.86%, एटी1: 0.19%) एवं टियर II 2.85% था जबकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को सीआरएआर 10.44% था जिसमें टियर I 7.63% (सीईटी1: 7.44%, एटी1: 0.19%) एवं टियर II 2.81% था. बासल II के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2015 को टियर I 8.46% के साथ सीआरएआर 11.89% एवं टियर II 3.43% जबकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को टियर I 8.43% एवं टियर II 3.29% के साथ सीआरएआर 11.63% था. चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करना है एवं दिनांक 31.03.2016 को जोखिम भारित आस्तियों में संभावित वृद्धि को देखते हुए, पूंजी निषेचन आवश्यक है. यद्यपि, यह कमी, अतिरिक्त टियर I (एटी1) श्रेणी के अंतर्गत है, जिसे इक्विटी शेयर्स एवं/अथवा बेमियादी ऋण लिखतों एवं बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-संचयी अधिमानी शेयर्स वाली टियर I पूंजी जुटाकर पूर्ण किया जा सकता है, परंतु दीर्घकालीन योजना के रूप में यह वांछनीय है कि कोर पूंजी अर्थात इक्विटी शेयर्स पर विचार किया जाए. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इक्विटी का यह अंतर्प्रेषण बैंक को, बाद में जब कभी आवश्यकता होने पर अधिकार निर्गम/ एफपीओ / अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से सार्वजनिक / सरकार / वित्तीय संस्थानों से और अतिरिक्त इक्विटी पूंजी की उगाही करने हेतु अतिरिक्त लीवरेज भी देगा, जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों, यदि कोई हो, के आवश्यक अनुमोदनों के अधीन होगा.

II. निर्गम को अभिदान करने हेतु प्रवर्तकों/निदेशकों/ निर्गम के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव:

कोई भी प्रवर्तक, निदेशक एवं प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति इस अधिमानी निर्गम के इक्विटी शेयर्स में अभिदान नहीं करेगा.

III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और उसके उपरांत शेयरधारिता ढांचा

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या के अनुसार पूर्व-आवंटन	आबंटन पूर्व चुकता पूँजी का %	शेयरों की संख्या के अनुसार पश्च-आबंटन	पश्च आबंटित चुकता पूँजी का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम में इसकी विभिन्न योजनाओं सहित	**21,35,67,481**	**12.88**	**24,50,08,569**	**14.50**
2.	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)(प्रवर्तक)	**135,08,27,438**	**81.46**	**135,08,27,438**	**79.94**
3.	अन्य शेयरधारक	**9,38,78,262**	**5.66**	**9,38,78,262**	**5.56**
4.	कुल (1+2)	**165,82,73,181**	**100.00**	**168,97,14,269**	**100.00**

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the EGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

EXPLANATORY STATEMENT

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. Objects of the Preferential Issue

Total Additional Tier 1 (AT1) capital required to meet business target and the Tier-I CRAR (including CCB) of 7.625% as per BASEL III has been projected at around Rs. 1815.00 crore for the financial year 2015-16. As per BASEL III, CRAR as on 31st March 2015 was 10.90% with Tier I at 8.05% (CET1: 7.86%; AT1: 0.19%) and Tier II at 2.85% while as on 31st December 2015, CRAR was 10.44% with Tier I at 7.63% (CET1: 7.44%; AT1: 0.19%) and Tier II at 2.81%. As per BASEL II CRAR as on 31st March 2015 was 11.89% with Tier I at 8.46% and Tier II at 3.43% while as on 31st December 2015, CRAR was 11.63% with Tier I at 8.34% and Tier II at 3.29%. As the Bank has to meet its business target for financial year 2015-16 and with probable increase in Risk Weighted Assets as on 31.03.2016, capital infusion is necessary. Although shortfall is falling under the Additional Tier I (AT 1) category which can be bridged by raising either Equity Shares and/or Perpetual Debt Instruments and Perpetual Non-Cumulative Preference Shares having characteristics of Tier I capital as per BASEL III guidelines, it is desirable to consider core capital i.e. Equity shares only as a long term plan. This infusion of equity by Life Insurance Corporation of India would also give additional leverage to the Bank to raise further equity capital from the public/Government/financial institutions by way of Rights Issue / FPO/ Qualified Institutions Placement (QIP) at a later date as and when the need arises, subject to necessary approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities, if any.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Promoters, Directors and Key Management persons intends to subscribe to the equity shares in this preferential issue.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	Life Insurance Corporation of India including its various schemes	21,35,67,481	12.88	24,50,08,569	14.50
2.	President of India (Government of India), Promoter	135,08,27,438	81.46	135,08,27,438	79.94
3.	Other Shareholders	9,38,78,262	5.66	9,38,78,262	5.56
4.	Total (1+2)	165,82,73,181	100.00	168,97,14,269	100.00

IV. अधिमानी निर्गम पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा : शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिन के भीतर आबंटन पूर्ण किया जाएगा, बशर्ते किसी विनियामक प्राधिकारी से उक्त आबंटन का अनुमोदन लेने में लगा समय इसमें विस्तारित किया जाए, यदि कोई है.

V. प्रस्तावित आबंटियों की पहचान तथा अधिमान निर्गम पश्चात उनके द्वारा रखी जाने वाली पूंजी का अनुपात तथा अधिमानी निर्गम के उपरांत निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो.

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार पूर्व-आबंटन	आबंटन पूर्व चुकता पूँजी का %	अधिमानता आधार पर आबंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या के अनुसार पश्च-आबंटन	पश्च आबंटित चुकता पूँजी का %	पश्च-आबंटन वृद्धिगत %
भारतीय जीवन बीमा निगम में इसकी विभिन्न योजनाओं सहित	21,35,67,481	12.88	3,14,41,088	24,50,08,569	14.50	1.62

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) का बैंक पर नियंत्रण जारी रहेगा और प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

भारतीय जीवन बीमा निगम की वोटिंग बैंक की कुल वोटिंग के 10% तक के लिए प्रतिबंधित है. अत: नये ईक्विटी शेयर के निर्गम से इसके वोटिंग अधिकार में बढोत्तरी नहीं होगी.

VI. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का मूल्य निर्धारण :

निर्गम एवं संपरिवर्तन मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार किया गया है.

परिणामी इक्विटी शेयरों का निर्गमित मूल्य निर्धारित करने की "संगत तारीख" दिनांक 29 फरवरी, 2016 है, जो सदस्यों के आवश्यक बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तिथि अर्थात दिनांक 30 मार्च 2016 से 30 दिन पूर्व की तारीख है.

बैंक यह वचन देता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों के ईक्विटी शेयरों के मूल्यों की पुन: गणना करेगा.

बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुन: निर्धारण के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमनों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो इक्विटी शेयर उस समय तक लॉक-इन रहेंगे, जब तक आबंटियों द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है.

VII. सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र :

प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचार के लिए शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमनों में अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किया जा रहा है. उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए दिनांक 30 मार्च, 2016 को आयोजित की जाने वाली असाधारण सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी.

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority, if any.

V. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of the Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post allotment in terms of No. of shares	% of Post allotment Paid up Capital	Incremental % post allotment
Life Insurance Corporation of India including its various schemes	21,35,67,481	12.88	3,14,41,088	24,50,08,569	14.50	1.62

The existing promoters of the Bank i.e. the President of India (Government of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

The voting of Life Insurance Corporation of India is restricted to the 10% of total voting of the Bank. Hence issuance of fresh equity shares will not increase its voting right.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price have been determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations

The "relevant date" for determining the issue price of the resultant equity shares is 29th February, 2016, which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 30th March 2016.

The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the equity shares shall continue to be locked - in till the time such amount is paid by the allottees.

VII. Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. Copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 30th March, 2016.

VIII. लॉक-इन अवधि :

भारतीय जीवन बीमा निगम एवं / अथवा इसकी विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर्स सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2009 के विनियम 78(2) के उस तारीख तक संशोधनों के अनुसार, ट्रेडिंग अनुमोदन किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे.

बैंक के इक्विटी शेयर्स छ: माह से भी पहले से सूचीबद्ध किए गए हैं एवं तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं.

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं और उन स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के सूचीकरण अनुबंध के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की सतत लिस्टिंग की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है.

भारतीय जीवन बीमा निगम के एक बीमा कंपनी होने के कारण उसे संबंधित तारीख से छ: माह पूर्व के दौरान ईक्विटी शेयर्स को न बेचने संबंधी सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 72(2) के प्रावधान से छूट प्राप्त है.

भारतीय जीवन बीमा निगम को ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से छ: महीने तक सम्पूर्ण अधिमानी आबंटित पूर्व शेयर धारिता के लॉक-इन संबंधी सेबी आईसीडीआर के विनियमन 78(6) के प्रावधान से भी छूट प्राप्त है.

IX. उपर्युक्तानुसार, जारी इक्विटी शेयर्स हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समरूप माने जाएंगे.

X. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 का विनियम 41, अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्दिष्ट करता है कि जब भी अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी बढ़ाना प्रस्तावित हो तब भी ऐसे शेयर्स की पेशकश सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु की जाएगी, बशर्ते शेयरधारक सामान्य बैठक में किसी विशेष संकल्प के माध्यम से अन्यथा निर्णय न लेते हों. चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारक को समानुपात आधार के इतर अन्य विधि द्वारा पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर का आबंटन प्रस्तावित है अत: उपर्युक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है. साथ ही, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 72 के तहत भी ऐसा करना आवश्यक है.

XI. आपके निदेशकगण नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को आपके अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं.

XII. बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रबंधन का मुख्य व्यक्ति बैंक में अपनी वैयक्तिक हैसियत अथवा भारत सरकार के नामिति के तौर पर अपनी शेयरधारिता की सीमा के सिवाय इस सूचना के संकल्प में सरोकार अथवा हित नहीं रखता है.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : मुंबई
दिनांक : 02-03-2016

(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

VIII. Lock-in period:

The equity shares proposed to be issued and allotted on preferential basis to Life Insurance Corporation of India and/or its various schemes shall be locked-in for a period of one year from the date of trading approval as per regulation 78(2) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended till date.

The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

All the shares held by Life Insurance Corporation of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

LIC being an Insurance Company is exempt from the provisions of Regulation 72(2) of the SEBI ICDR Regulations relating to non-selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.

LIC is also exempt from the provisions of Regulation 78 (6) of the SEBI ICDR Regulations relating to lock-in of entire pre-preferential allotment shareholding from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval.

IX. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

X. Regulation 41 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares by the method other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations, 2009.

XI. Your Directors recommend the Special resolution as set out in the notice, for your approval.

XII. None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank is concerned with or interested in the resolution of the notice except to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India

Place: Mumbai
Date: 02-03-2016

(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म "बी "

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो सं. या डीपी आईडी/ग्राहक आईडी	
धारित शेयरों की संख्या	

मैं/हम---
निवासी---जिला--------------------------------,
राज्य --------------------------------, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/की शेयरधारक की हैसियत से
श्री/सुश्री---
निवासी-------------------जिला----------------------,राज्य------------------- को अथवा उसकी अनुपस्थिति में
श्री/सुश्री ---निवासी
--------------------जिला ----------------------, राज्य----------------------, को बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016, प्रातः 11.00 बजे, स्थान : सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

तारीख ------------- माह -------------- वर्ष 2016 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

कृपया रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

--------------------------------   ---

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर   **प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर**

नाम --
(स्पष्ट अक्षरों में)

पता --------------------------------------

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

Folio No. or DP Id / Client-Id	
No. of Shares held	

I/We,________________________________resident/s of______________________________ in the district of ________________________ in the State of _____________________ being a shareholder/shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri/Smt.____ resident of ____ in the district of ___________________ in the State of ________________or failing him/her, Shri/Smt. ________________________resident of ________ ________________________ in the district of ______________________ in the State of _____________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Wednesday, 30th March, 2016 at 11.00 AM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College,Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this ______________ day of __________________ 2016.

Please affix
revenue
Stamp

______________________ ____

Signature of the Proxy Signature of the first named/ sole Shareholder

Name ________________________________

(in Block Letters)

Address ________________________________

____

____

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;

    (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

    (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

    (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.

3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैद्य नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए. तथापि उपर्युक्त दिनांक को अवकाश होने के कारण प्रॉक्सी फॉर्म उसके ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस अर्थात बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016 को सांय: 5 बजे या इसके पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.

4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.

5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.

6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.

7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.

8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

9. प्रॉक्सी का प्रपत्र “फार्म बी” में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:

   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.

   b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.

   c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.

3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 25th March, 2016, however, the said date being Bank Holiday so proxy form should reach on or before 5.00 PM on the immediate preceding working day i.e. Wednesday, 23rd March, 2016, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.

4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

6. The shareholder who has executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

7. No person shall be appointed as a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.

9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in ‘Form B’.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

असाधारण सामान्य बैठक - बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016

पंजीकृत पन्ना/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) संयुक्त धारक	
उपस्थित प्रॉक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो)	

सदस्य/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	**बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016**
स्थान	**सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज कूपर अस्पताल / रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056**

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयर्स की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयर्स की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेश पत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पत्र का हिस्सा शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/ जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

ATTENDANCE SLIP

Extra-ordinary General Meeting – Wednesday, 30th March, 2016

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters) Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

Signature of the Member/Proxy/ Representative Present

Day and Date	Wednesday, 30th March, 2016
Place	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056

Entry Pass

(To be retained throughout the meeting)

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/ Proxy/Authorised Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट :	**Registrar and Share Transfer Agent:**
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड (इकाई - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड एल.बी.एस.मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुंबई, 400078 फोन : (022) 2594 6970 फैक्स : (022) 2594 6969 ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**Link Intime India Private Limited** (Unit-CENTRAL BANK OF INDIA) C-13, Pannalal Silk Mills Compound LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai, 400078 Phone: (022) 2594 6970 Fax: (022) 2594 6969 E-Mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.फोनः 022 - 6638 7818

CENTRAL BANK OF INDIA
Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022- 6638 7818